

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
65/2024

दायर दिनांक
04.03.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
16.04.2024

1. सीता देवी पत्नि तेजपाल गेलडा जाति गेलडा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीया

बनाम

1. गिरीराजसिंह पुत्र शिवराजसिंह राणावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज..
2. सिंहशावक सिंह पुत्र शिवदानसिंह राणावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
3. पीरू खा पुत्र शेर खां पठान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
4. बानु पत्नि शेर खां पठान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
5. चेतन पुत्र तुलसीराम बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
6. जीवन पुत्र तुलसीराम बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
7. झंवर बैरवा पुत्र जीतु बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
8. देउ बैरवा पत्नि नानु बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
9. भागुति बैरवा पत्नि तुलसीराम बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.
10. रतनलाल बैरवा पुत्र तुलसीराम बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी कारोई कला तहसील व जिला भीलवाडा राज.

—विपक्षीगण


उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी उदयसिंह दरोगा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 1280 की अभिलिखित आराजियात 3962 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 1280 की अभिलिखित आराजियात 3962 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अनन्द निवृत्ति सोमनाथ)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा